न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्या :–17/2013/भीलवाड़ा (2013/00029)

1. डालू पुत्र प्यारा,
2. श्रीमती प्यारी पत्नि डालु,
   समस्त जाति माली, निवासी ग्राम धूलखेड़ा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा ।
2. गोपाल पुत्र उगमा माली, नि0 ग्राम धूलखेड़ा, तह0 व जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरुद्ध निर्णय तहसीलदार, भीलवाड़ा दिनांक 21.12.2012 प्रकरण संख्या 18/2011.

उपस्थितः–

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांट्स ।
2. रेस्पोडेंट्स अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः–27.11.2017

अपीलांट्स ने यह अपील तहसीलदार, भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 21.12.2012 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने तहसीलदार, भीलवाड़ा के समक्ष प्रार्थना पत्र के साथ गोमा पुत्र प्यारा माली द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत की छाया प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गोमा पुत्र प्यारा माली की भूमि वसीयतगृहिताओं के नाम दर्ज की जावे । तहसीलदार द्वारा वसीयत की सुनवाई हेतु पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्यारा के अन्य वारिसाना को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पो0 संख्या 2 ने उपस्थित होकर आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील को

खारिज किये जाने का निवेदन किया । तहसीलदार ने दिनांक 21.12.2012 को अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का आदेश पारित किया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये । अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत राजकीय अधिवक्ता का पद रिक्त होने से प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स की एकपक्षीय बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि गोमा पुत्र प्यारा ने अपने जीवनकाल में अपीलांट्स के पक्ष में दिनांक 22.4.2003 को पंजीकृत वसीयत निष्पादित कर दी थी तथा गोमा का स्वर्गवास दिनाक 23.1.2007 को हो गया था । गोमा द्वारा अपीलांट्स के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत वसीयत के आधार पर अपीलांट्स के पक्ष में गोमा की आराजी का नामांतकरण अपीलांट्स के नाम स्वीकृत किया जाना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने पंजीकृत वसीयत को अस्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित की है । राजस्व न्यायालय को पंजीकृत वसीयत को अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में यह भी निवेदन किया कि पटवारी हल्का मालोता ने रिपोर्ट दिनांक 14.3.2011 में वसीयतकृता गोमा के कोई पुत्र-पुत्री नहीं होना अंकित करते हुए गोमा की पत्नि देउ का गोमा की मृत्यू से लगभग 5 वर्ष पूर्व अन्यंत्र नाते चली जाना अंकित किया है । विवादित भूमि पर वसीयत दिनांक से अपीलांट्स का कब्जा काश्त चला आ रहा है । इस संबंध में अपीलांट्स ने अधी0न्याया0 के समक्ष स्वतंत्र गवाहों के बयान भी करवाये थे । अधी0न्याया0 के समक्ष वसीयत को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं होने के बावजूद अपीलांट्स के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत वसीयत को अस्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित की है । पंजीकृत वसीयत को सिविल न्यायालय से निरस्त कराये बिना रेस्पो0 कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते है । अधी0न्याया0 ने पंजीकृत वसीयत को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 21.12.2012 अपास्त किया जावे । xx

4- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों का अवलोकन किया एवं अभिभाषक अपीलांट्स की एक पक्षीय बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट्स ने गोमा पुत्र प्यारा द्वारा अपीलांट्स के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत वसीयत दिनांक 22.4.2003 के आधार पर गोमा की मृत्यु दिनांक 23.1.2007 उपरांत विवादित आराजियात का नामांतकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार, भीलवाड़ा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था । तहसीलदार ने अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तथाकथित वसीयत की सुनवाई हेतु मृतक प्यारा के अन्य वारिसान को नोटिस जारी किये । उक्त नोटिस के आधार पर प्यारा के

अन्य पुत्र उगमा ने न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वसीयत की विधि मान्यता एवं वैधता को निर्णित करने का क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय को है ना कि राजस्व न्यायालय को । आपत्तिकर्ता उगमा मृतक गोमा का भाई है तथा गोमा पुत्र प्यारा लाऔलाद फौत हुआ है तथा गोमा की सेवा-सुश्रुषा उगमा द्वारा की गई है इसलिये गोमा के हिस्से की खातेदारी अधिकार की आराजियात का नामांतकरण आपत्तिकर्ता के नाम स्वीकृत किया जावे । अधी0 न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने प्रकरण को निर्णित करने से पूर्व पटवारी हल्का से पर्चा मौका रिपोर्ट प्राप्त की है । पटवारी हल्का के पर्चा मौका में पटवारी हल्का ने अपने पर्चा मौका रिपोर्ट दिनांक 12.3.2011 में अंकित किया है कि मृतक गोमा के कोई पुत्र-पुत्री नहीं है, गोमा की औरत देऊ लगभग 5 वर्ष पूर्व नाते चली गई । गोमा ने डालू के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत करा रखी है, मौके पर गोमा की जमीन पर डालू का ही कब्जा है । अपीलांट्स ने अधी0न्याया0 में मृतक गोमा की पत्नि हाल नातायत पत्नि घीसा के बयान कराये है । उक्त बयानों में श्रीमती देऊ ने अपने बयाना में कथन किया है कि गोमा पिता प्यारा माली ने डालू पिता प्यारा माली एवं प्यारी पत्नि डालू माली के पक्ष में अपनी आराजियात वसीयत कर उनके पक्ष में पंजीकृत वसीयत नामा निष्पादित कर दिया था । इसी प्रकार स्वतंत्र गवाह मांगीलाल गाडरी ने भी अपने बयानों में गोमा द्वारा डालू व प्यारी के पक्ष में पंजीकृत वसीयत किये जाने का कथन किया है । उक्त तथ्यों से यह तो स्पष्ट है कि मृतक गोमा ने अपने जीवनकाल में विवादित आराजियात की पंजीकृत वसीयत अपीलांट्स के पक्ष में निष्पादित की है । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 21.12.2012 में यह अंकित करते हुए वसीयत अस्वीकार किया है कि अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत वसीयत की छाया प्रति में कांट-छाट होने से उप पंजीयक, भीलवाड़ा कार्यालय से प्रमाणित प्रति मंगवाई गई जिसका मिलान करने पर वसीयतनामा में द्वितीय पक्षगण वसीयत ग्रहिता में प्यारा पत्नि गोमा के बजायू डालू व क्रम (क) में ग्राम धूलखेड़ा में स्थित भूमि रकबा 2.00 बीघा बजाय 2.06 बीघा किया गया है जबकि मूल वसीयतनामें में प्यारा पत्नि गोमा व रकबा 2.00 बीघा दर्ज होना सिद्ध है । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली में उपलब्ध वसीयतनामें की प्रति का अवलोकन किये जाने पर अधी0न्याया0 के निर्णय में दिये गये निष्कर्षो की पुष्टि होती है । अपीलांट्स ने अधी0न्याया0 के समक्ष स्वच्छ हाथों से प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर तथ्यों में कांट-छांट करके प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था । अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांटस डालू के भाई उगमा ने अधी0न्याया0 में उपस्थित होकर वसीयत के आधार पर नामांतकरण नहीं खोलने हेतु आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था । राजस्थान भू-राजस्व अधि0 1956 की धारा 135 (2) के अनुसार जहां भूमि को लेकर विवाद हो वहां वसीयत के आधार पर नामांतकरण की कार्यवाही से बचना चाहिये । अधी0न्याया0 ने इन्हीं सब तथ्यों को मध्य नजर रखकर अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत वसीयत को अस्वीकार कर प्रार्थना पत्र

अपास्त किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस अपास्त योग्य एवं अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 21.12.2012 यथावत रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 17/2013 (2013/00029) बउनवानी डालू बनाम राज0 सरकार को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 18/2011 में पारित निर्णय दिनांक 21.12.2012 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 27.11.2017 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर